



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 622]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 2016/भाद्र 16, 1938

No. 622]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 2016/BHADRA 16, 1938

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 858(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी हुई वस्तुएं) नियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी हुई वस्तुएं) नियम, 2011, में -
(क) नियम 5 में, उप नियम (1) में निम्नलिखित परन्तुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“परन्तु यह कि, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के अधीन सक्षम प्राधिकारी ने किसी आवश्यक वस्तु के सम्बन्ध में मानक मात्रा नियत और अधिसूचित की है तो उस आवश्यक वस्तु की यथानियत और अधिसूचित मानक मात्रा अभिभावी होगी”
(ख) नियम 6 में, -
उप-नियम (1) के खंड (ड) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-
“परन्तु यह और कि यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन किसी आवश्यक वस्तु की खुदरा कीमत नियत और अधिसूचित कर दी जाती है, तो वह लागू होगी;”

[फा. सं. डब्ल्यू. एम. -9(31)/2016]

पी. वी. रामाशास्त्री, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:- मुख्य नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 202(अ), तारीख 7 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनको, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 385(अ), तारीख 14 मई, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th September, 2016

G.S.R. 858(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (j) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, namely:-

1. **(1) Short title and commencement.**—These rules may be called as the Legal Metrology (Packaged Commodities) (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011,-

(a) in rule 5, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted namely,-

“Provided that if the Competent Authority under the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) fixed and notified the standard quantity of any essential commodity, the standard quantity of such essential commodities as fixed and notified shall prevail.”

(b) in rule 6,-

after Proviso of Clause (e) of sub-rule (1), the following proviso shall be inserted namely:-

“Provided further that if the retail sale price of any essential commodity is fixed and notified by the Competent Authority under the Essential Commodities Act, 1955 the same shall apply.”;

[F. No. WM-9(31)/2016]

P. V. RAMA SASTRY, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.202(E), dated the 7th March, 2011 and last amended, vide, notification number G.S.R. 385 (E), dated the 14th May, 2015.